प्रेस विज्ञप्ति

श्री सम्पादक जी,

विषय : वैट बकाया भुगतान पर ब्याज व अर्थदण्ड माफी योजना 2026 विषय पर टैक्स गोष्ठी संपन्न

महोदय,

मर्चेंट चेम्बर आफ उत्तर प्रदेश एवं राज्य कर विभाग कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से वैट बकाया भुगतान पर ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना 2026 विषय पर कार्यशाला का आयोजन डॉ. गौर हरि सिंहानिया कांफ्रेंस हॉल, सिविल लाइंस, कानपुर में किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती सान्या छावड़ा, आई.ए.एस. एडीशनल कमिश्नर, कानपुर ने सम्बोधित करते हुए बताया की वैट अवधि तक के वैट, केंद्रीय बिक्रीकर, प्रवेश कर आदि की बकाया धनराशि जमा करने पर ब्याज व अर्थदण्ड माफी योजना जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा घोषित की गई है। यह एक सुनहरा अवसर है। बकाया भुगतान कर निर्धारित व्याज एवं अर्थदण्ड माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह आवेदन अनलाईन करना होगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु लखनपुर स्थित कार्यालय में हेल्पडेस्क बकायेदारों की ऑनलाईन मदद हेतु कार्य कर रहा है। योजना से संबंधित किसी भी समाधान के लिए राज्य कर विभाग के अधिकारी हमेशा उपलब्ध रहेंगे। व्यापारियों की मदद करेंगे।

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 प्रभारी ग्रेड-1, ज्वाइंट कमिश्नर जोन-2, कानपुर श्री कुमार आनंद जी ने व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि जी0एस0टी0 विभाग उनकी समस्त समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा उपलब्ध हैं। विभागीय अधिकारी विभिन्न बाजारों में भी जाकर योजना को समझाएंगे। बकाया व्यापारियों की मदद करेंगे। यह योजना इसके पूर्व 03 मार्च, 2021 को मात्र तीन माह के लिए लागू एवं प्रभावी की गयी थी। अब यह पुनः अवसर शायद ही आगे प्राप्त हो सके।

योजना के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर देवेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत बिक्रीकर, व्यापार कर,वैट, केंद्रीय बिक्रीकर, प्रवेश कर एवं मनोरंजन कर आदि का 31-12-2025 तक सुजित मांग शामिल की गई है। रूपया दस लाख तक बकाया के मामले में ब्याज व जुर्माना पूरा माफ किया जाएगा। रूपया दस लाख से एक करोड़ तक के बकाया मामलों में ब्याज 90 प्रतिशत। रूपया एक करोड़ से पांच करोड़ तक के मामलों में ब्याज 75 प्रतिशत। रूपया पांच करोड़ से अधिक बकाया मामले में ब्याज 50 प्रतिशत की ही माफी होगी। इस योजना में कर न जमा करने पर अतिरिक्त अर्थदंड ही माफ किया जाएगा। अन्य अर्थदंड इस योजना में शामिल नहीं हैं।

द्वितीय सत्र में श्री सुमित श्रीवास्तव, ज्वाईन्ट कमिश्नर ने पावर प्वाइंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर की वेबसाइट में आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। ब्याज माफी योजना 2026 पर क्लिक करना होगा। आयकर अपनावेव पंजीयन संख्या अंकित करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम बकायावेव, ब्याज एवं पेनाल्टी प्रदर्शित करेगा। मूल बकाये की सम्पूर्ण बकाया जमा करनी होगी। बकाये की वसूली प्रमाणपत्र की संख्या भी अपलोड होगी। 15 दिन में अधिकारी गणना एवं सत्यापन करेंगे। सही पाये जाने पर इस योजना का प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। इस योजना का टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

शंका समाधान सत्र में मर्चेंट, अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की शंकाओं का समाधान जी0एस0टी0 विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता मर्चेंट चेम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकुल टंडन द्वारा की गयी।

संचालन जी0एस0टी0 कमेटी के चेयरमेन सन्तोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। योजना की विषयवस्तु से धर्मेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया। आभार वाईस चेयरमेन शरद शाह ने व्यक्त किया। मुख्य रूप से जी0एस0टी0 विभाग के सभी एडिशनल कमिश्नर, ज्वाईन्ट कमिशनर एवं डिप्टी कमिश्नर उपस्थित रहे।

मुख्य रूप से इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमेन सुशील शर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवम ओमर, राजीव गुप्ता, शशिकान्त अग्निहोत्री, चन्द्रशेखर शर्मा, शिशिर शुक्ला आदि उपस्थित रहे।

आपसे अनुरोध है कि उक्त को अपने समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित करें |

सधन्यवाद।

वास्ते मर्चेंट चेम्बर आफ उ0प्र0,

(सन्तोष कुमार गुप्ता)
विभागीय जी0एस0टी0 कमेटी म0सी0यू0पी0